उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग **2-**

संख्या-**331** /ग्यारह-**2-25-9(47)/17**-टी0सी0-**282**-उ0प्र0अधि0-**1-2017**- आदेश-**(346)-2025**

लखनऊः दिनांकः **12-03-2025**

<u>अधिसूचना</u>

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) (जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों पर, वित्तीय वर्ष 2017-18 या 2018-19 या 2019-20 या 2020-21 या 2021-22 या 2022-23 के लिए उक्त अधिनियम की धारा 44 के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली विवरणी के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 47 में निर्दिष्ट विलंब फीस की रकम, जो उक्त वित्तीय वर्ष के लिए प्ररूप जीएसटीआर-9 के प्रस्तुत करने की तारीख तक उक्त अधिनियम की धारा-47 के अधीन संदेय विलम्ब फीस के आधिक्य में है, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए, जिनसे उक्त वित्तीय वर्ष के लिए प्ररूप जीएसटीआर 9 में वार्षिक विवरणी के साथ प्ररूप जीएसटीआर-9ग में सुलह विवरण प्रस्तुत करना अपेक्षित था लेकिन प्ररूप जीएसटीआर-9 में उक्त विवरणी के साथ उसे प्रस्तुत करने में असफल रहे और जो उक्त विवरण तत्पश्चात 31 मार्च 2025 को या उससे पहले प्ररूप जीएसटीआर -9ग में प्रस्तुत करें, का एतद्द्वारा अधित्यजन करते हैं;

परंतु यह कि उक्त वित्तीय वर्षों के लिए प्ररूप जीएसटीआर-9ग को देरी से प्रस्तुत करने के संबंध में पहले से संदत्त विलंब फीस का कोई प्रतिदाय उपलब्ध नहीं होगा।

आज्ञा से

Signed by
M Devaraj
(एम० देवराज)
प्रमुख सचिव।
Date: 12-03-2025 10:58:03